

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या- प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन/2020-21/ 4309

लखनऊ : दिनांक 23/12/2020

—:: आदेश ::—

नवीन विशेषज्ञ

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या-965/सेक-2-पॉच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकों को परामर्शी (कन्सल्टेंट) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

- 1- पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सल्टेंट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
 - (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
 - (3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।
 - (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भौति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
 - (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
 - (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
 - (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भौति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
 - (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

- 3- सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
- 4- यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० के संज्ञान में लाया जाय।
- 5- पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Shree Narayan Bajpai	6433	03-09-1958	30-09-2020	Chest Disease Specialist	UHM Hospital Kanpur Nagar
2.	Dr. Sukumar Agarwal	6854	04-07-1958	31-07-2020	Paediatrician	District Male Hospital Budaun
3.	Dr. Yatish Kumar	11574	01-10-1958	30-09-2020	Anesthetist	District Male Hospital Bagpat
4.	Dr. Raj Kumar Naiyer	6234	10-11-1957	30-11-2019	Eye Surgeon	Balrampur Hospital Lucknow
5.	Dr. Satish Chandra Verma	6232	02-02-1958	29-02-2020	Pathologist	District Male Hospital Kanpur Dehat
6.	Dr. Dinesh Chandra Pandey	6678	15-09-1958	30-09-2020	Surgeon	District Male Hospital Barabanki
7.	Dr. Vijay Kumar	8405	02-06-1958	30-06-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Raebareli
8.	Dr. Jitendra Kumar Malhotra	11713	07-09-1958	30-09-2020	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Hathras
9.	Dr. Atul Kumar	6039	18-09-1958	30-09-2020	Ophthalmologist	District Male Hospital Basti
10.	Dr. Nagendra Mohan Mathur	5328	06-02-1957	28-02-2017	Surgeon	District Male Hospital Raebareli
11.	Dr. Suman Babu Mishra	5693	03-04-1958	30-04-2020	Chest Disease Specialist	UHM Hospital Kanpur Nagar
12.	Dr. Ram Bharat Verma	10591	05-08-1958	31-08-2020	Paediatrician	District Female Hospital Sultanpur
13.	Dr. Dinesh Kumar Singh	5876	01-10-1957	30-09-2019	Surgeon	District Male Hospital Chandauli
14.	Dr. Sayeed Mohammad	5508	13-03-1958	31-03-2020	Pathologist	Malkhan Singh District Male Hospital Aligarh
15.	Dr. Mukat Lal	7509	08-07-1958	31-07-2020	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Rampur
16.	Dr. Shiv Ram Singh	8715	15-09-1958	30-09-2020	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Agra
17.	Dr. Bhupendra Nath Srivastava	5354	06-07-1958	31-07-2020	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Kaushambi
18.	Dr. Rakesh Chandra Gupta	7098	02-02-1957	28-02-2017	Radiologist	District Male Hospital Hardoi
19.	Dr. Vidhyadhar	7514	03-10-1958	31-10-2020	Anesthetist	District Male Hospital Sant Ravidas Nagar
20.	Dr. Anil Kumar Dixit	10144K	29-07-1957	31-07-2019	Paediatrician	Under CMO Amethi
21.	Dr. Sudhir kumar srivastava	8472	18-12-1956	31-12-2016	Anesthetist	District Male Hospital Chandauli
22.	Dr. Jai Prakash	8825	01-10-1958	30-09-2020	ENT Specialist	District Male Hospital Etawah

23.	Dr. Sanjay Kumar Jain	5907	29-06-1958	30-06-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Hapur
24.	Dr. Naveen Kumar Mishra	9029	07-10-1958	31-10-2020	Paediatrician	District Female Hospital Etawah
25.	Dr. Vinesh Kumar	8779	05-01-1958	31-01-2020	Radiologist	District Male Hospital Ghaziabad
26.	Dr. Chandra Mohan Yadav	11765	15-06-1958	30-06-2020	Paediatrician	District Female Hospital Mainpuri
27.	Dr. Suneel Kumar Yadav	8682	14-06-1958	30-06-2020	Anesthetist	District Male Hospital Bareilly
28.	Dr. Shri Narayan Chaturvedi	8032	12-08-1958	31-08-2020	TB Chest Disease	District Male Hospital Fatehpur
29.	Dr. Virendra Kumar	6648	10-08-1958	31-08-2020	Anesthetist	District Male Hospital Santkabir Nagar
30.	Dr. Vasudha agrawal	6357	30-08-1958	31-08-2020	DGO	District Female Hospital Jhansi
31.	Dr. Ram Veer Singh	7438	15-09-1958	30-09-2020	Anesthetist	District Male Hospital Hapur
32.	Dr. Subhash Chandra Singh	9655K	03-01-1958	31-01-2020	Pathologist	District Male Hospital Deoria
33.	Dr. Raja Ram	9152	01-07-1958	30-06-2020	TB Chest Disease	Under CMO Bahraich
34.	Dr. Ved Prakash Jaiswal	8371	02-10-1958	31-10-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Jaunpur
35.	Dr. Nand Kishore Gupta	5747	11-09-1957	30-09-2019	anesthetist	District Male Hospital Fatehpur

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.


महानिदेशक

संख्या-प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन/2020-21/

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3-मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- 4-संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नारायण रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6-सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 7-सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8-चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9-संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर जो भी बाद में हो, प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- 10- गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

23.	Dr. Sanjay Kumar Jain	5907	29-06-1958	30-06-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Hapur
24.	Dr. Naveen Kumar Mishra	9029	07-10-1958	31-10-2020	Paediatrician	District Female Hospital Etawah
25.	Dr. Vinesh Kumar	8779	05-01-1958	31-01-2020	Radiologist	District Male Hospital Ghaziabad
26.	Dr. Chandra Mohan Yadav	11765	15-06-1958	30-06-2020	Paediatrician	District Female Hospital Mainpuri
27.	Dr. Suneel Kumar Yadav	8682	14-06-1958	30-06-2020	Anesthetist	District Male Hospital Bareilly
28.	Dr. Shri Narayan Chaturvedi	8032	12-08-1958	31-08-2020	TB Chest Disease	District Male Hospital Fatehpur
29.	Dr. Virendra Kumar	6648	10-08-1958	31-08-2020	Anesthetist	District Male Hospital Santkabar Nagar
30.	Dr. Vasudha agrawal	6357	30-08-1958	31-08-2020	DGO	District Female Hospital Jhansi
31.	Dr. Ram Veer Singh	7438	15-09-1958	30-09-2020	Anesthetist	District Male Hospital Hapur
32.	Dr. Subhash Chandra Singh	9655K	03-01-1958	31-01-2020	Pathologist	District Male Hospital Deoria
33.	Dr. Raja Ram	9152	01-07-1958	30-06-2020	TB Chest Disease	Under CMO Bahraich
34.	Dr. Ved Prakash Jaiswal	8371	02-10-1958	31-10-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Jaunpur
35.	Dr. Nand Kishore Gupta	5747	11-09-1957	30-09-2019	anesthetist	District Male Hospital Fatehpur

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.

महानिदेशक

संख्या-प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन/2020-21/4310-19

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नारायण रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
- संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर जो भी बाद में हो, प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)